[कार्]यालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

[प्रार्थ]ना–पत्र संख्या :–313 / 2022 दायर दिनांक: 22.12.2022
[R]CMS NO:- 2022/543 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

रामलक्ष्मण आ0 कालूलाल जाति मीणा नि0 ग्राम मरां तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश आ. मोतीलाल जाति मीना नि0 मरां।
2. जमना बाई पुत्री मोतीलाल पत्नी बजरंगलाल जाति मीना नि0 पाई तहसील नैनवॉ।
3. जानकी बाई बेवा मोतीलाल जाति मीना नि0 मरां।
4. पाना बाई पुत्री मोतीलाल पत्नी सोजीलाल जाति मीना नि0 पाई तहसील नैनवॉ।
5. बद्रीलाल आ0 मोतीलाल जाति मीना नि0 मरां।
6. रामप्रकाश आ0 मोतीलाल जाति मीना नि0 मरां।
7. रितेश आ0 रामसहाय जाति मीना नि0 डोडी तहसील नैनवॉ।
8. सीताबाई पत्नी रामसहाय जाति मीना नि0 डोडी तहसील नैनवॉ।
9. भूस्वामी जर्ये तहसीलदार नैनवॉ।

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थी की ओर से वकील श्री रमेश कुमार कहार।
अप्रार्थी सं 01 लगायत 6 की ओर से वकील श्री जयसिंह आशावत।

निर्णय दिनांक 22.05.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम मरां प.म. मरां की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या नया 82 पुराना 21 की खसरा नम्बर 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 व 39 कुल किता 12 कुल रकबा 4.4172 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 के सम्मिलित खातेदारी की भूमि है जिसमे प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है और इसी रूप मे जमाबन्दी मे दर्ज है।

यह कि उक्त भूमियों का बरसों से बाहमी विभाजन हो रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण बरसों से बाहमी विभाजन के अनुसार विभाजित हिस्सेनुसार व चाह खसरा नम्बर 34 पर आने जाने का बरसों पुराना एक मात्र आदू रास्ता खसरा नम्बर 34 पर जाने का एक मात्र रास्ता बांसी से मरां जाने वाले ग्रेवल सडक से उत्तरी ओर फटकर खसरा नम्बर 32 व 31 व 31 व 33, 35 की मेर पर होकर चाह संख्या 34 पर पहुंचता है। वर्षो से यही रास्ता चाह संख्या 34 मे पहुंचने का बना हुआ है। प्रार्थी एवं प्रत्यार्थीगण ने सम्मिलित खातेदारी भूमि मे यह रास्ता लगभग 13 फीट चौडा है जिस पर होकर प्रार्थी एवं प्रत्यार्थीगण बरसों से चाह खसरा नम्बर 34 पर आवागमन कर रहे है एवं ट्रेक्टर ट्रोली, बेलगाडी आदि ले जा रहे है। उक्त रास्ते को परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है।

प्रत्यार्थीगण के मन मे बदनियति आ गयी इस कारण प्रत्यार्थीगण सन 2013 के रास्ते को विवाद करने लगे थे और रास्ता अवरूद्व करने लगे थे जिसको लेकर प्रार्थी व प्रत्यार्थीगण के मध्य लोक अदालत मे राजीनामा भी हुआ जिसमे यह राजीनामा हुआ कि रास्ते की भूमि पर कोई अतिकमण नही करेंगे और रास्ते का सभी आने जाने मे उपयोग करेंगे। लेकिन दिनांक 8.12.2022 को परिशिष्ट अ मे वर्णित रास्ते मे आगे की तरफ खूंटा गाडकर जालिया लगा कर रास्ता प्रत्यार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 ने अवरूद्व कर दिया जिससे प्रार्थी को अपने खेतों कुआं मे पहुंचने के लिए, कृषि करने के लिए व अन्य कार्यो के लिए बाधा उत्पन्न हो रही है यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से अधिवक्ता श्री जयसिंह आशावत द्वारा वकालातनामा पेश किया जाकर आज दिनांक 22.5.2025 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट 20.2.2023 को ही प्राप्त हो चुकी थी।

हमने प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी द्वारा जिस खसरा नम्बर 34 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह पक्षकारान की

शामलाती भूमि है। पक्षकारान प्रकरण मे राहखातेदार के रूप मे दर्ज है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैंनवा